


10



नवीन सं. 296/2017

**न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष राजस्व मण्डल
ग्वालियर बैच भोपाल**

R. 296- I-17

प्र.क.

तमगाज अली पुत्र श्री सरवर अली
आयु व्यस्क
निवासी - मोहल्ला, टोरी सिरोंज,
जिला विदिशा, हाल निवासी - भोपाल

...निगरानीकर्ता

विरुद्ध

जाहिद अली पुत्र श्री सरवर अली
आयु व्यस्क
निवासी मोहल्ली टोरी सिरोंज,
जिला विदिशा म.प्र.

...निगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.संहिता 1959

अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 184/नि/ 10-11/आदेश दिनांक 06/05/2016 से परिवेदित एवं दुःखी होकर ^{यह निगरानी} जानकारी दिनांक 02/01/2017 से समयावधि में प्रस्तुत है।

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य

यह कि ग्राम मुण्डरा घाट, प.ह.नं. 12, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 52/1 रकबा 2.561 हेक्टेयर में से 2.125 हेक्टेयर भूमि के भू-स्वामी अपीलार्थी के बड़े भाई ने अपीलार्थी को मौखिक हिबा किया था और हिबा के समर्थन में प्रत्यर्थी/ प्रतिअपीलार्थी ने शपथ पत्र तस्दी कराकर अपीलार्थी के समर्थन में तहसीलदार के समक्ष दिया था। उक्त भूमि पर अपीलार्थी ने हिबा के आधार पर नामांतरण का आवेदन तहसीलदार महोदय के समक्ष मण्डल 2 में प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने



3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-296-एक/17

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/12/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण को आगे नहीं चलाए जाने का अनुरोध किया गया। उनका निवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> <p style="text-align: left;">  </p>	